

क्या शव्वाल के छः रोजे को रमज़ान की क़ज़ा
पर प्राथमिकता देना जाइज़ है ?

﴿ هل يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان ؟ ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

शौखा मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

IslamHouse.com

هل يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟

« باللغة الهندية »

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

क्या शव्वाल के छः रोज़े को रमज़ान की क़ज़ा पर प्राथमिकता देना जाइज़ है ?

प्रश्न:

यदि किसी महिला पर रमज़ान के रोज़ों का क़र्ज़ है तो क्या उसके लिए जाइज़ है कि वह शव्वाल के छः रोज़ों को क़र्ज़ से पहले रखे या कि क़र्ज़ को शव्वाल के छः रोज़ों पर प्राथमिकता दे ?

उत्तर:

"यदि महिला पर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अनिवार्य है तो वह शव्वाल के छः रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने के बाद ही रखेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे।" और जिस पर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अनिवार्य है, उसने रमज़ान का (संपूर्ण) रोज़ा नहीं रखा है। अतः उसे शव्वाल के छः दिनों के रोज़े का सवाब (पुण्य) प्राप्त नहीं होगा मगर इसके बाद कि वह रमज़ान की क़ज़ा को संपन्न कर ले। यदि मान लिया जाये कि रमज़ान की क़ज़ा में शव्वाल का पूरा महीना लग गया, उदाहरण के तौर पर कोई महिला प्रसव की स्थिति में हो जाये और वह रमज़ान के एक दिन का भी रोज़ा न रखे, फिर शव्वाल के महीने में रोज़े की क़ज़ा शुरू करे और जुल-क्रादा का महीना दाखिल होने के बाद ही उस से फारिग हो, तो वह छः दिनों का रोज़ा रख सकती है, और उसे शव्वाल में रोज़ा रखने वाले के समान अज़्र व सवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका विलंब करना एक ज़रूरत के कारण है और उसके लिए (शव्वाल ही के महीने में छः रोज़े

रखना) असंभव है, अतः उसे उसका अज्र प्राप्त होगा।" मजमूओ
फतावा व रसाइल इब्ने उसैमीन २०/६ .